न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/34/2025	2025/182	01.09.2025	05.05.2026

1. सौदान मीना पुत्र स्व0 श्री खैरातीलाल मीना निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी जिला अलवर राज0।
2. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री रामकुवार,
3. हजारी लाल पुत्र स्व0 श्री रामकुवार,
4. राजबाई पुत्री स्व0 श्री रामकुवार,
   जातियान मीना निवासीयान ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहत न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी, जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 187 दिनांक 27.11.1978 को स्वीकार किया गया।

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश शर्मा — वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) — वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार रैणी जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 187 दिनांक 27.11.1978 को स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकुलाय की बहस सुनी।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपील हाजा नायब तहसीलदार रैणी के आलोच्य आदेश इंतकाल दिनांक 27.11.2078 के विरूद्ध पेश की जा रही है। अपीलांट ने आलोच्य इंतकाल अंतर्गत आराजी की जमाबंदी प्राप्त करने हेतु दिनांक 04.08.2025 को पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पता चला कि जमावन्दी में रामक्वार पुत्र खैराती 1/2 हिस्सा दर्ज किया हुआ है जबकि रामकंवार, खैराती का पुत्र नहीं है बल्कि रामकंवार व खैराती दोनों खास भाई थे और उनके पिता का नाम हरलाल है। इस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का को बयनामा दिनांक 25.04.1977 लाकर दिखाया तो पता चला कि उक्त बयनामा के आधार पर जो इंतकाल खोला गया, उसमें पटवारी हल्का ने बयनामा के अनुसार ही खरीददारों का नाम लिखा है किन्तु इंतकाल स्वीकार करते समय खरीदारों का नाम गलत दर्ज करते हुए इंतकाल स्वीकार कर तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2038 में अमल कर दिया गया जिस पर अपीलांट ने इंतकाल की नकल लेने हेतु दिनांक 05.08.25 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 07.08.25 को सांयकाल नकल प्राप्त हुई। इसके बाद अपीलांट ने अपने वकील साहब से संपर्क कर कानूनी सलाह मशवरा किया और आज जानकारी की दिनांक 05.08.25 से अपील हाजा बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अपीलांट के पिता खैराती पुत्र हरलाल व रामकुंवार पुत्र हरलाल, जो कि दोनों खास भाई थे, ने संयुक्त रूप से आराजी साबिक खसरा नंबर 356 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, जिनका हाल खसरा नंबर 651, 658, 661 कायम हुए हैं, वाके ग्राम ईटोली तहसील राजगढ जिला अलवर को छोटा, सिबला पुत्रान बहरी से रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.04.1977 क्रय किया था। ताईद में बयनामा की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है। उक्त बयनामा के आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का ने इंतकाल संख्या 187 दिनांक 20.11.1978 को दर्ज किया, जिसका मिलान दिनांक 27.11.1978 को आईएलआर द्वारा किया गया। इसके बाद उक्त इंतकाल को नायब तहसीलदार रैणी द्वारा दिनांक 27.11.1978 को ही स्वीकार कर लिया गया किन्तु नायब तहसीलदार रैणी द्वारा इंतकाल को स्वीकार करते समय इंतकाल में पटवारी हल्का द्वारा किये गये अंकन एवं बयनामा के खिलाफ क्रेताओं का नाम रामकुंवार, खैराती पि० हरलाल दर्ज करने के बजाय रामकंवार पुत्र खैराती दर्ज कर दिया गया और उसके आधार पर तत्कालीन जमाबंदी संवत 2038 में नोट लगा दिया गया। जबकि उक्त दोनों क्रेतागण जो कि अनपढ ग्रामीण थे, इस विश्वास में थे कि बयनामा मुताबिक ही इंतकाल दर्ज मंजूर होकर कागजात माल में अमल हो जायेगा तथा उक्त आराजी के बाबत बाद खरीद आज तक मौके पर कभी कोई विवाद किसी तरह का क्रेताओं के घर परिवार में व किसी बाहरी व्यक्ति से भी नहीं हुआ। जिस कारण राजस्व अभिलेख को देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। दिनांक 04.08.2025 को पटवारी हल्का से अपीलांट को पता चला कि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में रामक्वार पुत्र खैराती 1/2 हिस्सा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हो रही है। जबकि सर्वप्रथम तो रामकंवार के पिता का नाम खैराती नहीं है बल्कि रामकंवार व खैराती दोनों खास भाई थे जिनके पिता का नाम हरलाल था। रामकंवार व खैराती दोनों का ही स्वर्गवास हो चुका है तथा अपीलांट स्व० श्री खैराती का इकलौता पुत्र व वारिस काबिज जायदाद है।

अपीलांट के पिता श्री खैराती का स्वर्गवास दिनांक 01.04.24 को हो गया था, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है, जिसमें भी खैराती उर्फ खैरातीलाल मीना के पिता का नाम हरलाल मीना दर्ज है। अपीलांट के पिता खैराती पुत्र हरलाल का उक्त खरीदशुदा 1/2 हिस्से में निस्फ भाग यानि आधा भाग था, जिसका वह वक्त खरीद से आजीवन काबिज खातेदार काश्तकार रहा तथा उसके मरने के बाद अपीलांट उक्त 1/2 भाग के निस्फ भाग पर काबिज चला आ रहा है और शेष निस्फ भाग पर रामकंवार के वारिसों का कब्जा चला आ रहा है जिनसे अपीलांट का कोई विवाद किसी तरह का नहीं है। इसलिए वो आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं हैं। अपील भी अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्से के निस्फ भाग यानि अपने हकूक की सीमा तक ही प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त प्रकार से आलोच्य आज्ञा इंतकाल को निरस्त करते हुए मुताबिक बयनामा उक्त खरीददारों रामकंवार, खैराती पुत्रान हरलाल के नाम इंतकाल बय दर्ज मंजूर कराया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा जेरे अपील दिनांक 27.11.2078 नायब तहसीलदार रैणी जिला अलवर बाबत इंतकाल बय संख्या 187 को निरस्त फरमाया जावे तथा बयनामा दिनांक 25.04.77 के अनुसार क्रेतागण रामकुवार, खैराती पि० हरलाल मीना के नाम इंतकाल दर्ज कराया जावे। चूँकि अपीलांट के पिता श्री खैराती का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उसके निस्फ भाग का इंतकाल सीधे अपीलांट के नाम दर्ज मंजूर किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी द्वारा नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 27.11.1978 को दर्ज व स्वीकार किया। विद्वान रेस्पो. ने तर्क दिया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि कानून जागते हुए लोगों की मदद करने के लिए है ना कि अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह लोगों की। अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण हाजा में विवादित आदेश दिनांक 27.11.1978 इंतकाल संख्या 187 की जानकारी दिनांक 05.08.2025 को होना बताया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील न्यायायल हाजा में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अत्यधिक विलम्ब से पेश की है जिस बाबत दिन प्रतिदिन का ब्यौरा भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जानी चाहिए, खारिज की जावे। उक्त अपील को प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम दफा 05 के बिन्दू पर मियाद बाहर मानते हुए तथ्यों के साथ विस्तृत निर्णय पारित करते हुए खारिज करें।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश इंतकाल संख्या 187 दिनांक 27.11.1978 के विरूद्व न्यायालय हाजा में दिनांक 01.09.2025 को अपील प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार, अपील प्रस्तुत करने में लगभग 47 वर्ष का अत्यधिक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब को क्षमा करने हेतु यह आवश्यक है कि अपीलांट विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दे और यह साबित करे कि उसके पास अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था। अपीलांट का यह तर्क कि वे अनपढ़ ग्रामीण थे और मौके पर शांति होने के कारण 47 वर्षों तक राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) नहीं देखा, विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों के प्रति 47 वर्षों तक अनभिज्ञ नहीं रह सकता। यह अपीलांट की अपने कानूनी अधिकारों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा यह बार–बार स्थापित किया गया है कि लंबे समय तक अपने अधिकारों पर सोते रहने वाले व्यक्ति को मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ नहीं दिया जा सकता। केवल यह कह देना कि त्रुटि की जानकारी हाल ही में दिनांक 05.08.2025 को हुई, 4 दशकों से अधिक के विलम्ब को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मियाद अधिनियम के तहत विलम्ब माफी के लिए अपीलाण्ट को दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का युक्तिसंगत और संतोषजनक कारण स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इतने लम्बे अंतराल का कोई भी वैध या ठोस कारण रिकॉर्ड/पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित कारण संतोषजनक एवं पर्याप्त कारण की परिधि में नहीं आते हैं। अपीलांट 47 वर्ष के असाधारण विलम्ब को स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र बलहीन होने के कारण नामंजूर किया जाता है। परिणामस्वरूप, मियाद अवधि के अभाव में मुख्य अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को सूचनार्थ व पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)